सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल सं. NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW-RU-IV दिनांक :19.02.2025

सेवा में,

उपायुक्त,
जिला-रांची, कचहरी चौक
ब्लॉक – बी, कमरा नंबर-504,
राँची-834001, झारखण्ड
ई:मेल- dc-ran@nic.in

विषय: भूमि विवाद के संबंध में श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थाना – बरियातु, जिला – रांची, झारखण्ड से दिनांक 04.09.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि

श्रीमति निलु देवी
पत्नि श्री अशोक कुमार,
आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन,
थाना – बरियातु,
जिला – रांची, झारखण्ड
फोन नं .9136022433

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW

प्रार्थी के जमीन पर पड़ोसी द्वारा रंजीत सोनी एवं मनोज सोनी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता बंद कर देने के संबंध में श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थाना-बरियातु, जिला-रांची, झारखण्ड की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 31.01.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	31.01.2025 को 12:30 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार।

मामले में शिकायत दिनांक 04.09.2023 श्रीमति निलु देवी से आयोग में प्राप्त हुई, जिसमे उन्होंने बताया है कि वह और उनके परिवार के सदस्य अनुसूचित जनजाति 'करमाली जाति' के हैं । उन्होंने बताया कि ग्राम मोरहाबादी में 02 कट्ठा 08 छटांक जमीन की रजिस्ट्री 04/01/2007 को अशोक कुमार(शिकायतकर्ता के पति) के नाम से हुई थी और वे इस पर शांतिपूर्ण कब्जा बनाए हुए हैं। इसी भूमि पर बृजमोहन राम ने भी 05 कट्ठा 08 छटांक जमीन खरीदी थी। इन दोनों खरीदीगी पट्टा को मिलकर कुल खरीदीगी भूमि की रकबा 05 कट्ठा जमीन प्रार्थी के कब्जे में है। मुद्दा यह है कि रजिस्ट्री के समय भूमि पर प्रस्तावित 10 फीट रास्ता को रंजीत सोनी ने शौचालय बनाकर बंद कर दिया, जिससे विवाद शुरू हुआ। निलु देवी ने प्रशासन, पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। दिनांक 27/08/2023 को आपसी वार्ता के दौरान विपक्षी रंजीत सोनी और मनोज सोनी ने जातिसूचक गालियाँ दीं और विवाद बढ़ गया, जिससे स्थिति हिंसात्मक हो गई। निलु देवी का कहना है कि यह मामला अनुसूचित जनजाति की जमीन का है और जानबूझकर आपराधिक मामले में बदला जा रहा है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त, जिला रांची, झारखंड को नोटिस दिनांक 18.09.2023.भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में उत्तर/रिपोर्ट संतोषजनक न प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 27.08.2024 को सिटिंग/सुनवाई की गई। तदनुसार, संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत भेजा गया, जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 31.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की गई, तदनुसार संबंधित प्राधिकारियों को सिटिंग/सुनवाई का नोटिस भेजा गया।

4. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला रांची की ओर से जिला आपूर्ति अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिन्हें मामले तथा भूमि संबंधित विषय की कोई जानकारी नहीं थी। इससे न केवल आयोग का समय व्यर्थ

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

हुआ, बल्कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन की अनदेखी भी सामने आई। इतना समय बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई न करना, अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने में पूरी तरह से उपेक्षा को दर्शाता है | शिकायतकर्ता अनुपस्तिथ रहे।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

I. उपायुक्त, रांची द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 06.07.2024 में बताया गया कि श्रीमती निलु देवी, पत्नी अशोक कुमार, निवासी आशाश्री गार्डन, रांची के खाता संख्या-80, प्लॉट संख्या-922, 927 और 928 के रकवे की स्थल जांच की गई। जांच के दौरान, निलु देवी से कागजात की मांग की गई और नक्शे के अनुसार भूमि की पहचान की गई। उक्त भूमि का पट्टा संख्या-62, दिनांक 04.01.2007 को जारी हुआ था, **जिसमें उत्तर दिशा में 10 फीट का प्रस्तावित रास्ता दिखाया गया है। वर्तमान में इस भूमि पर सुकरा उराँव और मनोज सोनी का मकान है, लेकिन मनोज सोनी द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।**

1.1 मामले में 27.08.2024 को हुई सुनवाई में आयोग द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता को प्रस्तावित रास्ता दिलवाने की अनुशंसा की गई थी, परंतु संबंधित विभाग द्वारा पिछली सुनवाई से वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही बिना किसी नए तथ्यों के आयोग के समक्ष वही रिपोर्ट दिनांक 31.01.2025 की सुनवाई में प्रस्तुत की गई। इससे न केवल आयोग का समय व्यर्थ हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की अनदेखी की जा रही है।

II. मामले में, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अगली सुनवाई में सभी संबंधित प्राधिकारियों की उपस्थिति, आयोग की अनुशंसाओं पर अब तक की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट के साथ अनिवार्य होगी, ताकि मामले में शीघ्र, प्रभावी और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

आशा लकड़ा
12/02/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-2216/JH/50/2023-ESDW

Sitting to be held on 31.01.2025 at 12:30 P.M- भूमि विवाद के संबंध में श्रीमती निलु देवी पत्नि श्री अशोक कुमार, आशाश्री गार्डेन, सुमित्रा सदन, थानाबरियातु-, जिलारांची-, झारखण्ड से दिनांक 04.09.2023 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.			
6.			
II	**Officers from O/o Commissioner of Police, Ranchi**		
1.	Pradeep Bhagat District Supply Officer Ranchi.	7759055435	[signature]
2.			
3.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			